कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना।

पत्रांक 66 (अनु०)

प्रेषक :–

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, पटना।

पटना/ दिनांक 10.1.23

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सचिव
ब्राडा, पटना

विषय :– राज्य योजना (नाबार्ड) अन्तर्गत "पटना बख्तियारपुर फोरलेन (एन.एच.–30) के 49वें कि०मी० से चेरों नगरनौसा RCD रोड के 5वें कि०मी० छठ्ठी घाट तक" पथ निर्माणधीन के अन्तर्गत रैयति भूमि सतत् लीज पर लेने हेतु मुआवजा की रकम क अधियाचना के संबंध में।

प्रसंगः– जिला भू–अर्जन, पटना का पत्रांक– 53 दिनांक– 10.01.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में कहना है कि राज्य योजना (नाबार्ड) अन्तर्गत "पटना बख्तियारपुर फोरलेन (एन.एच.–30) के 49वें कि०मी० से चेरों नगरनौसा RCD रोड के 5वें कि०मी० छठ्ठी घाट तक" पथ निर्माण हेतु मौजा–रवाईच, थाना नं० – 142 में अर्जनाधीन रकवा– 21.4525 एकड़ एवं मौजा– बुलन बुजुर्ग, थाना– नं०– 140 में अर्जनाधीन रकवा–1.9775 एकड़ का बिहार भू–अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली, 2014 के आलोक में मुआवजा का गणना विवरणी वर्तमान MVR दर के आलोक मे गणना की गयी है, जिसका प्राक्कलित राशि ग्रामवार निम्नवत् है:–

क्र०	मौजा का नाम व थाना नं०	कुल प्राक्कलित राशि
1	मौजा– रवाईच, थाना नं०– 142	7,92,71,332.00
2	मौजा– बुलन बुजुर्ग, थाना नं०– 140	75,22,118.00
	कुल	8,67,93,450.00
	(आठ करोड़ सरसठ लाख तिरानवे हजार चार सौ पचास रूपये मात्र)	

तदनानुसार रैयती भूमि को सतत् लीज पर भुगतान करने हेतु राशि– 8,67,93,450.00 (आठ करोड़ सरसठ लाख तिरानवे हजार चार सौ पचास रूपये मात्र) अधियाचित की जा रही है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि अधियाचित राशि का आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि उपरोक्त रैयती जमीन मालिक का ससमय भुगतान की जा सके।

अनु०: यथोक्त

विश्वासभाजन

10/01/23

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, पटना।

10/1/23

Scanned with OKEN Scanner